

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,  
अनुमति-पत्र क. भोपाल - म. प्र. बि.  
पू.भु./04 भोपाल-03-05



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म.प्र.-108, भोपाल-03-05

# मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 543 | भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 नवम्बर, 2005-कार्तिक 19, शक 1927

---

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम (प्रथम संशोधन), 2005

क्र. एफ 11-37-05-एक-9-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, "मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005" में निम्नुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

## संशोधन

- (1) परिभाषायें में (छः) के नीचे निम्न परिभाषा अंततः स्थापित की जाये,-  
(सात) "सब्सन्टेशयली फायनेंसड" से अभिप्रेत वार्षिक टर्न ओवर का पचास प्रतिशत या रूपये पचास हजार, जो भी कम हो, शासन या उसकी किसी संस्था से अनुदान के रूप में या अन्यथा वित्तीय रूप से पोषित होने से है,
- (2) नियम (5) (1) में वाक्य "ऐसे आवेदक द्वारा" के पश्चात निम्न वाक्य विलोपित किया जाये,-  
"जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं"
- (3) नियम (5) (1) में वाक्य "उपलब्ध कराई जाना है" के बाद निम्न वाक्य अंतः स्थापित किया जाये,-  
" वहाँ ए-3/ए-4 साइज कागज की फोटो कॉपी हेतु रूपये दो प्रति पृष्ठ तथा यदि इससे बड़े कागज पर सूचना की फोटो प्रति उपलब्ध कराना है "

(4) नियम (5) (4) में वाक्य "ऐसी सूचना के डिस्कट या फ्लापी " के बाद निम्न वाक्य अंतः स्थापित किया जाये,-

" में उपलब्ध कराने हेतु रूपये पचास प्रति डिस्कट या फ्लापी तथा जहाँ सूचना टेप या वीडियो कैसेट में उपलब्ध करानी हो वहाँ"

No F 11-37-05-1-9- In exercise of power conferred by section 27 of the Right to Information Act. 2005, the Sate Government hereby makes the following amendments in the Right to Information (Fees and Appeal) rules, 2005: -

### AMENDMENTS

(1) Under **Definition** heading, following definition shall be inserted after (g)-

(h) "**Substantially Financed**" means where fifty percent of annual turn over or rupees fifty thousand, which ever is less, is financed by the Government or any of its institution.

(2) In rule (5) (1), after the sentence "**the applicant**", following should be deleted, -

"**who is not below the poverty line,**"

(3) In rule (5) (1), after the sentence "**the applicant**", following shall be inserted, -

"**shall deposit rupees two per page for photocopy on A-3/A-4 size paper and for photocopy on bigger size paper,**"

(4) In rule (5) (4), the sentence "**the actual cost of the Diskettes or Floppies or Video cassettes**" shall be replaced by the sentence, -

"**Rupees fifty per Diskette or Floppy for providing information on Diskettes or Floppy and for providing information on Tapes or Video cassettes, the actual cost of the Tape or Video cassettes**"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,  
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव